

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ4(ई)/अलेसे-III/चवे 94 / 11930-11934 दिनांक:- 21/1/14

कार्यालय आदेश

श्री विनोद कुमार सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (300/94) की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियुक्ति नियुक्ति तिथि 20.02.1996 हैं। श्री विनोद कुमार सिंह ने 9 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 20.2.2005 को पूर्ण कर ली है, अतः श्री सिंह को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(2)(एफडी)(रूल्स) 98/ दिनांक 17.2.1998 के अनुसरण में 20.02.2005 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है।

श्री विनोद कुमार सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प01 (20) वित्त/ मुप-2/ 92 दिनांक 23.4.1994 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1) (डीओपी)/ क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

श्री विनोद कुमार सिंह का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)/अलेसे-III/चवे 94 / 11930-11934 दिनांक:- 21/1/14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोटा।
2. श्री विनोद कुमार सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, कोटा।
3. उपनिदेशक (एसीपी), वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
4. निजी / गार्ड फाईल।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)